



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 अगस्त, 2021 ई0 (श्रावण 16, 1943 शक सम्वत्) [संख्या-32

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	437-464	3075
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	303-307	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीयों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1

अधिसूचना

29 जुलाई, 2021 ई0

संख्या 313/XIV-1/2020-07(01)/2012-राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2003) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2021

- | | |
|----------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| नियम 155 का संशोधन | 2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 155 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात्:- |

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

प्रत्येक सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से सहकारी शिक्षा निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर निम्न प्रकार अंशदान करेगी :-

(क) प्रारम्भिक सहकारी समिति-1,000/-
रु0 प्रति वर्ष,

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

प्रत्येक सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से सहकारी शिक्षा निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर निम्न प्रकार अंशदान करेगी :-

(क) प्रारम्भिक सहकारी समिति-

(i) 5000 रुपये यदि आलोच्य वर्ष का शुद्ध लाभ दस लाख रुपये अथवा उससे कम हों,

(ii) 10,000 रुपये यदि वर्ष का शुद्ध लाभ दस लाख रुपये से अधिक पच्चीस लाख रुपये तक हों,

(iii) 20,000 रुपये यदि वर्ष का शुद्ध लाभ पच्चीस लाख रुपये से अधिक व पचास लाख रुपये तक हों,

(iv) 40,000 रुपये यदि वर्ष का शुद्ध लाभ पचास लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये तक हों,

(क) 50,000 रुपये यदि वर्ष का शुद्ध लाभ एक करोड़ रुपये से अधिक हों,

- (ख) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक/नगरीय सहकारी बैंक— 15,000/- रुपये प्रति वर्ष,
- (ग) अन्य केन्द्रीय सहकारी समितियां—7,000 रुपये प्रति वर्ष,
- (घ) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक— 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष,
- (ङ) उपर्युक्त "घ" से भिन्न अन्य शीर्ष समितियां— 40,000/- रुपये प्रति वर्ष,
- (ख) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक/नगरीय सहकारी बैंक— 75,000 रुपये प्रति वर्ष,
- (ग) अन्य केन्द्रीय सहकारी समितियां—20,000 रुपये प्रति वर्ष,
- (घ) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक—2,00,000 रुपये प्रति वर्ष,
- (ङ) उपर्युक्त "घ" से भिन्न अन्य शीर्ष समितियां 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष:
- प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक किसी सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति खराब होने के आधार पर उसे अंशदान कराने से पूर्णतया या अंशतः छूट दे सकता है।
- परन्तु यह कि निबन्धक किसी सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति खराब होने के आधार पर उसे अंशदान से पूर्णतया या अंशतः छूट दे सकेगी।

नियम 156 का संशोधन 3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 156 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1
विद्यमान नियम

- (क) सहकारी शिक्षा निधि का प्रबन्ध नियम 160 में निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से गठित उप समिति की सिफारिशों पर उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जायेगा:-
- (i) प्रत्येक शीर्ष स्तर की सहकारी समिति का उस समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि :
- (ii) गन्ना आयुक्त, उद्योग निदेशक और दुग्ध आयुक्त में से प्रत्येक का एक-एक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति :
- (iii) जिला सहकारी बैंकों के सभापतियों में से निबन्धक द्वारा चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि :

स्तम्भ 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (क) सहकारी शिक्षा निधि का प्रबन्ध नियम 160 में निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से गठित उप समिति की सिफारिशों पर उत्तराखण्ड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लि० द्वारा किया जायेगा:-
- (i) प्रत्येक शीर्ष स्तर की सहकारी समिति का उस समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि :
- (ii) गन्ना आयुक्त, उद्योग निदेशक और दुग्ध आयुक्त, मत्स्य, निदेशक, पशुपालन निदेशक और उद्यान निदेशक में से प्रत्येक का एक-एक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति।
- (iii) जिला सहकारी बैंक के सभापतियों में से निबन्धक द्वारा चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि,

- | | |
|---|---|
| <p>(iv) सदस्य संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि० का प्रबन्ध निदेशक।</p> <p>(2) उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि० का सभापति ही सहकारी शिक्षा निधि के प्रबन्धन हेतु गठित उप समिति का पदेन सभापति होगा।</p> | <p>(iv) सदस्य संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए उत्तराखण्ड प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन लि० का प्रबन्ध निदेशक।</p> <p>(2) उत्तराखण्ड प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन लि० का सभापति ही सहकारी शिक्षा निधि के प्रबन्धन हेतु गठित उप समिति का पदेन सभापति होगा।</p> |
|---|---|

नियम 157 का 4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 157 के स्थान पर संशोधन स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1
विद्यमान नियम

उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि०, सहकारी शिक्षा निधि के प्रशासन और उससे सम्बद्ध विषयों के लिए विनियम तैयार करेगी। यह विनियम निबन्धक के अनुमोदन के अधीन होंगे।

स्तम्भ 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

उत्तराखण्ड प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन लि० सहकारी शिक्षा निधि के प्रशासन और उससे सम्बद्ध विषयों के लिए विनियम तैयार करेगी। यह विनियम निबन्धक के अनुमोदन के अधीन होंगे।

नियम 223 का 5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 223 के स्थान पर संशोधन स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1
विद्यमान नियम

समिति धारा 64 के अधीन निबन्धक या लेखा परीक्षा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, जाँच और सत्यापन के लिये, जैसे और जब अपेक्षित हो वार्षिक और अन्य विवरणियाँ, जिसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की अशोध्य तथा संदिग्ध परिसम्पत्तियाँ भी आती हैं, और सभी बहियाँ संगत लेखा, दस्तावेजों, पत्रादि, प्रतिभूतियाँ, नकदी और अन्य सम्पत्ति उपलब्ध करायेगी।

स्तम्भ 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

समिति धारा 64 के अधीन निबन्धक या लेखा परीक्षा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, जाँच और सत्यापन के लिये, जैसे और जब अपेक्षित हो वार्षिक और अन्य विवरणियाँ, जिसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की अशोध्य तथा संदिग्ध परिसम्पत्तियाँ भी आती हैं, और सभी बहियाँ संगत लेखा, दस्तावेजों, पत्रादि, प्रतिभूतियाँ, नकदी और अन्य सम्पत्ति उपलब्ध करायेगी:

परन्तु यह कि सम्बन्धित सहकारी समिति की सामान्य निकाय, समिति की लेखा परीक्षा संचालित कराने हेतु, इस प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 64 के उपबन्धों के अनुसार तय किये गये चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट के पैनल में से एक चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट की नियुक्ति करेगी।

सम्बन्धित सहकारी समिति के वार्षिक विवरण की एक निश्चित सीमा का निर्धारण करते हुए उक्त निर्धारित सीमा के अन्तर्गत चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट के माध्यम से तथा उक्त निर्धारित सीमा से अधिक का ऑडिट "लेखा परीक्षा (वित्त)" विभाग के माध्यम से करायी जायेगी।

नियम 247 का 6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 247 के उपनियम संशोधन (1) स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1
विद्यमान नियम

(1) यदि विवाद, सम्पत्ति या धनराशि के दावे से सम्बन्धित हो तो निर्देश:-

(क) जिला सहायक निबन्धक को किया जायेगा, यदि अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक न हों:

प्रतिबंध यह है कि यदि विवाद एक ही मण्डल (डिविजन) के एक से अधिक जिलों के दो या दो से अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, यथास्थिति, मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा:

अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि यदि विवाद विभिन्न मण्डलों के एक से अधिक जिले की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, क्षेत्र (रीजन) के क्षेत्राधिकारयुक्त उप निबन्धक/अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा:

प्रतिबंध यह भी है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र (क्षेत्रों) में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उप धारा 1 के अधीन नियुक्त निबन्धक,

स्तम्भ 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) यदि विवाद, सम्पत्ति या धनराशि के दावे से सम्बन्धित हो तो निर्देश:-

(क) जिला सहायक निबन्धक को किया जायेगा, यदि अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक न हों:

परन्तु यह है कि यदि विवाद एक ही मण्डल (डिविजन) के एक से अधिक जिलों के दो या दो से अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, यथास्थिति, मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि विवाद विभिन्न मण्डलों के एक से अधिक जिले की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, क्षेत्र (रीजन) के क्षेत्राधिकारयुक्त उप निबन्धक/अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र (क्षेत्रों) में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उप धारा 1 के

सहकारी समितियां को किया जायेगा।

- (ख) यथास्थिति मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा यदि विवाद के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक किन्तु दो लाख रुपये से अधिक न हो:

प्रतिबंध यह है कि यदि विवाद अधिक मण्डलों के जिलों की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त उप निबन्धक/अपर निबन्धक मुख्यालय को किया जायेगा।

अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

- (ग) सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख रुपये से अधिक न हो:

प्रतिबंध यह है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

- (ख) यथास्थिति मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा यदि विवाद के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक किन्तु पाँच लाख रुपये से अधिक न हो:

परन्तु यह कि यदि विवाद अधिक मण्डलों के जिलों की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त उप निबन्धक/अपर निबन्धक मुख्यालय को किया जायेगा।

परन्तु यह और कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

- (ग) सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त संयुक्त निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पाँच लाख रुपये से अधिक किन्तु दस लाख रुपये से अधिक न हो:

परन्तु यह कि यदि विवाद एक से अधिक संयुक्त निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, अपर निबन्धक मुख्यालय को किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के

(घ) यदि निर्देश धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा तो विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति मूल्य या दावे की धनराशि पांच लाख रुपये से अधिक होनी चाहिये।

क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में हो तो निर्देश, धारा 3 की उप धारा 1 के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

(घ) सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त अपर निबन्धक को किया जायेगा यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दस लाख रुपये से अधिक किन्तु पन्द्रह लाख रुपये से अधिक न हों:

परन्तु यह कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

(ङ) यदि निर्देश धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा तो विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति मूल्य या दावे की धनराशि पन्द्रह लाख रुपये से अधिक होनी चाहिये।

नियम 273 का संशोधन 7. मूल नियमावली के स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 273 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा तथा खण्ड (ख) को विलोपित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम

(क) न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अपना पद धारण करने की तिथि से सात वर्ष के लिये पद पर बना रहेगा:

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं रहेगा, यदि उसने:

(i) अध्यक्ष के मामले में 67 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो: और

स्तम्भ 2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(क) न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अपना पद धारण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिये अथवा 65 की आयु जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा :

(ii) सदस्य के मामले में 66 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

(ख) यदि कोई व्यक्ति अपनी अधिवर्षता की उम्र प्राप्त करने से पूर्व अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो तो वह भले ही अपनी मूल सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हो, परन्तु न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में 67 या 66 वर्ष की आयु तक जैसी भी स्थिति हो तक निरन्तर कार्य करता रहेगा और उसके लिये अलग से अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) विलोपित।

नियम 376 का संशोधन 8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 376 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1

विद्यमान नियम

(1) धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन किसी सहकारी समिति की जाँच के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित शुल्क देय होगा:-

- (1) किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति-25 रु0
- (2) जिला स्तर की केन्द्रीय सहकारी समिति-100 रु0
- (3) शीर्ष स्तर की सहकारी समिति-500 रु0
- (4) किसी अन्य सहकारी समिति-100 रु0

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन किसी सहकारी समिति की जाँच के लिये कि, शिकायतकर्ता द्वारा जाँच के प्रार्थना-पत्र के साथ रु0 100 का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित शुल्क देय होगा:-

- (1) किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति- 50 रु0
- (2) जिला स्तर की केन्द्रीय सहकारी समिति-500 रु0
- (3) शीर्ष स्तर की सहकारी समिति-1000 रुपये
- (4) किसी अन्य सहकारी समिति-200 रु0

नियम 377 का संशोधन 9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 377 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1

विद्यमान नियम

किसी सहकारी समिति के ऋणदाता द्वारा धारा 66 के अधीन निरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र के

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

किसी सहकारी समिति के ऋणदाता द्वारा धारा 66 के अधीन निरीक्षण के लिये

साथ निम्नलिखित शुल्क देय होगा:-

- (1) किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति-25 रु0
- (2) जिला स्तर की केन्द्रीय सहकारी समिति-100 रु0
- (3) शीर्ष स्तर की सहकारी समिति-500 रु0
- (4) किसी अन्य सहकारी समिति-100 रु0

प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित शुल्क देय होगा:-

- (1) किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति- 50 रु0
- (2) जिला स्तर की केन्द्रीय सहकारी समिति-500 रु0
- (3) शीर्ष स्तर की सहकारी समिति-1000 रु0
- (4) किसी अन्य सहकारी समिति-200 रु0

नियम 378 का संशोधन 10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 378 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1
विद्यमान नियम

किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो न तो सहकारी समिति का सदस्य हो और न उसका लेनदार हो, किसी सहकारी समिति का निरीक्षण करने या उसके कार्यों से सम्बद्ध मामलों की जाँच करने के लिये दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, जब तक कि ऐसे प्रार्थना-पत्र के साथ 500 रुपये का शुल्क न दिया गया हो।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिये पद "सदस्य" में साधारण निकाय का एक सदस्य और समिति के प्रबन्ध समिति का एक सदस्य भी सम्मिलित होगा।

स्तम्भ 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो न तो सहकारी समिति का सदस्य हो और न उसका लेनदार हो, किसी सहकारी समिति का निरीक्षण करने या उसके कार्यों से सम्बद्ध मामलों की जाँच करने के लिये दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, जब तक कि ऐसे प्रार्थना-पत्र के साथ 1000 रुपये का शुल्क न दिया गया हो।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिये पद "सदस्य" में साधारण निकाय का एक सदस्य और समिति की प्रबन्ध समिति का एक सदस्य भी सम्मिलित होगा।

नियम 379 का संशोधन 11. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 379 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1
विद्यमान नियम

(क) किसी विवाद के निबटारे के लिये धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्देश के साथ-

(क) 50 रुपये (पचास रुपये) शुल्क अपेक्षित

स्तम्भ 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(क) किसी विवाद के निबटारे के लिये धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्देश के साथ-

(क) 100 रुपये (सौ रुपये) शुल्क अपेक्षित

होगा, यदि निर्देश नियम 247 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आता हो और सम्पत्ति का मूल्य या निर्देश में अन्तर्ग्रस्त दावे की धनराशि 5,000 रुपये (पाँच हजार रुपये) से अधिक न हो।

(ख) सम्पत्ति के मूल्य या निर्देश में अन्तर्ग्रस्त दावे की धनराशि के एक प्रतिशत की दर पर शुल्क देय होगा, किन्तु 25000 रु0 (पच्चीस हजार रुपये) से अधिक न होगा, यदि निर्देश नियम 247 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अन्तर्गत आता हो और सम्पत्ति का मूल्य या निर्देश में अन्तर्ग्रस्त दावे की धनराशि 5,000 रुपये (पाँच हजार रुपये) से अधिक हो,

(ग) 500 रुपये (पाँच सौ रुपये) का शुल्क देय होगा, यदि निर्देश नियम 247 के उपनियम (2) या उप नियम (3) के अन्तर्गत आता हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वादी के अनुरोध पर धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थ मण्डल संगठित किया जाये, तो शुल्क की धनराशि वह होगी जो पूर्ववर्ती संगत खण्ड के अधीन देय हो और उसके अतिरिक्त उसका दस प्रतिशत या 50 रुपये (पचास रुपये) इसमें जो भी अधिक हो, देय होगा।

होगा, यदि निर्देश नियम 247 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आता हो और सम्पत्ति का मूल्य या निर्देश में अन्तर्ग्रस्त दावे की धनराशि 5,000 रुपये (पाँच हजार रुपये) से अधिक न हो।

(ख) सम्पत्ति के मूल्य या निर्देश में अन्तर्ग्रस्त दावे की धनराशि के एक प्रतिशत की दर पर शुल्क देय होगा, किन्तु 50000 रु0 (पचास हजार रुपये) से अधिक न होगा, यदि निर्देश नियम 247 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अन्तर्गत आता हो और सम्पत्ति का मूल्य या निर्देश में अन्तर्ग्रस्त दावे की धनराशि 5,000 रुपये (पाँच हजार रुपये) से अधिक हो,

(ग) 1000 रुपये (एक हजार रुपये) का शुल्क देय होगा यदि निर्देश नियम 247 के उपनियम (2) या उप नियम (3) के अन्तर्गत आता हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वादी के अनुरोध पर धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थ मण्डल संगठित किया जाये, तो शुल्क की धनराशि वह होगी जो पूर्ववर्ती संगत खण्ड के अधीन देय हो और उसके अतिरिक्त उसका दस प्रतिशत या 100 रुपये (एक सौ रुपये) इसमें जो भी अधिक हो, देय होगा।

नियम 380 का संशोधन. 12. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 380 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम

अपील का ज्ञापन के साथ-

(क) 50 रु0 शुल्क अपेक्षित होगा, यदि अपील धारा 98 की उपधारा (1) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निर्णय के विरुद्ध हो:

स्तम्भ 2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

अपील का ज्ञापन के साथ-

(क) 100 रु0 शुल्क अपेक्षित होगा, यदि अपील धारा 98 की उपधारा (1) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निर्णय के विरुद्ध हो:

(ख) नियम 379 में विनिर्दिष्ट दर की दोगुनी दर पर शुल्क देय होगा, यदि अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (1) या धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट अधिनिर्णय के विरुद्ध हो:

(ग) अन्य सभी मामलों में—

- (1) यदि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों का निबन्धक या धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अपर निबन्धक या उप निबन्धक अपीलीय प्राधिकारी हो, तो निम्नलिखित दर पर शुल्क देय होगा:—

(क) दावे की धनराशि का दो प्रतिशत यदि वह धनराशि या सम्पत्ति का दावा हो:

(ख) 200 रुपये (दो सौ रुपये) का शुल्क यदि वह धनराशि या सम्पत्ति का दावा न हो।

- (1) 500 रुपये (पांच सौ रुपये) का शुल्क यदि राज्य सरकार अपीलीय प्राधिकारी हो,
- (2) 500 रुपये (पांच सौ रुपये) का शुल्क यदि सहकारी न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकारी हो,
- (3) 200 रुपये (दो सौ रुपये) का शुल्क यदि खण्ड (एक) या खण्ड (दो) या खण्ड (तीन) में उल्लिखित प्राधिकारी से भिन्न कोई प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी हो।

नियम 382 का संशोधन 13. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 382 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम

धारा 101 के अधीन किसी अपील के स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित दरों पर शुल्क देय होगा:—

(ख) नियम 379 में विनिर्दिष्ट दर की दोगुनी दर पर शुल्क देय होगा, यदि अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (1) या धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट अधिनिर्णय के विरुद्ध हो:

(ग) अन्य सभी मामलों में—

- (1) यदि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों का निबन्धक या धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अपर निबन्धक या उप निबन्धक अपीलीय प्राधिकारी हो, तो निम्नलिखित दर पर शुल्क देय होगा:—

(क) दावे की धनराशि का दो प्रतिशत यदि वह धनराशि या सम्पत्ति का दावा हो:

(ख) 250 रुपये (दो सौ पचास रुपये) का शुल्क यदि वह धनराशि या सम्पत्ति का दावा न हो।

- (1) 1000 रुपये (रु० एक हजार) का शुल्क यदि राज्य सरकार अपीलीय प्राधिकारी हो,
- (2) 1000 रुपये (एक हजार रुपये) का शुल्क यदि सहकारी न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकारी हो,
- (3) 250 रुपये (दो सौ पचास रुपये) का शुल्क यदि खण्ड (एक) या खण्ड (दो) या खण्ड (तीन) में उल्लिखित प्राधिकारी से भिन्न कोई प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी हो।

स्तम्भ 2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

धारा 101 के अधीन किसी अपील के स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित दरों पर शुल्क देय होगा:—

(क) 400 रुपये (चार सौ रुपये) का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिये प्रार्थना-पत्र, धारा 101 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आता हो:

(ख) 400 रुपये (चार सौ रुपये) का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिये प्रार्थना-पत्र, धारा 101 की उप धारा (2) के अन्तर्गत आता हो:

(ग) 200 रुपये (दो सौ रुपये) का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिये प्रार्थना-पत्र, धारा 101 की उप धारा (3) के अन्तर्गत आता हो:

(क) 500 रुपये (पांच सौ रुपये) का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिये प्रार्थना-पत्र, धारा 101 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आता हो:

(ख) 500 रुपये (पांच सौ रुपये) का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिये प्रार्थना-पत्र, धारा 101 की उप धारा (2) के अन्तर्गत आता हो:

(ग) 250 रुपये (दो सौ पचास रुपये) का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिये प्रार्थना-पत्र, धारा 101 की उप धारा (3) के अन्तर्गत आता हो:

नियम 383 का 14. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 383 के स्थान पर संशोधन स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1

विद्यमान नियम

निष्पादन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शुल्क दिया जायेगा:-

(क) किसी अधिनिर्णय या आदेश के निष्पादन के निमित्त प्रार्थना-पत्र के लिये-

(1) यदि वसूल की जाने वाली धनराशि, 1000 रुपये (एक हजार रुपये) उससे कम हो रु010.00

(2) यदि वसूल की जाने वाली धनराशि, 1000 रुपये (एक हजार रुपये) से अधिक हो, तो प्रति सौ रुपये या उसके भाग के लिये 10 पैसे की दर से अतिरिक्त शुल्क, किन्तु अधिक से अधिक 500 रु0 (पांच सौ रुपये) लिया जायेगा।

(ख) निष्पादन की कार्यवाहियों के अन्तर्गत प्रत्येक नोटिस के लिये-10.00 रु0

(ग) प्रत्येक निर्णीत-ऋणी की अचल सम्पत्ति की कुर्की के लिये-25.00 रु0

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

निष्पादन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शुल्क दिया जायेगा:-

(क) किसी अधिनिर्णय या आदेश के निमित्त प्रार्थना-पत्र के लिये-

(1) यदि वसूल की जाने वाली धनराशि, 1000 रुपये (एक हजार रुपये) उससे कम हो 100.00 रु0

(2) यदि वसूल की जाने वाली धनराशि, 1000 रुपये (एक हजार रुपये) से अधिक हो, तो प्रति सौ रुपये या उसके भाग के लिये 10 पैसे की दर से अतिरिक्त शुल्क, किन्तु अधिक से अधिक 1000 रु0 (एक हजार रुपये) लिया जायेगा।

(ख) निष्पादन की कार्यवाहियों के अन्तर्गत प्रत्येक नोटिस के लिये-50.00 रु0

(ग) प्रत्येक निर्णीत-ऋणी की अचल सम्पत्ति की कुर्की के लिये-100.00 रु0

- | | |
|---|--|
| <p>(घ) प्रत्येक बिक्री हेतु बिक्री के पूर्व प्रतिदिन के विज्ञापन के निमित्त डुग्गी पीटने के लिये—20.00 रु0</p> <p>(ङ.) प्रत्येक बिक्री के लिये विक्रय शुल्क—25.00रु0</p> <p>(च) बिक्री के विरुद्ध प्रत्येक आपत्ति—याचिका के लिये शुल्क—25.00 रु0</p> <p>(छ) प्रत्येक निर्णीत ऋणी की अचल सम्पत्ति की कुर्की के लिये शुल्क—50.00 रु0</p> <p>(ज) अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये शुल्क—50 रु0</p> | <p>(घ) प्रत्येक बिक्री हेतु बिक्री के पूर्व प्रतिदिन के विज्ञापन के निमित्त डुग्गी पीटने के लिये—150 रु0</p> <p>(ङ.) प्रत्येक बिक्री के लिये विक्रय शुल्क—100 रु0</p> <p>(च) बिक्री के विरुद्ध प्रत्येक आपत्ति—याचिका के लिये शुल्क—50 रु0</p> <p>(छ) प्रत्येक निर्णीत ऋणी की अचल सम्पत्ति की कुर्की के लिये शुल्क 100 रु0</p> <p>(ज) अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये शुल्क 100 रु0</p> |
|---|--|
- नियम 394 का संशोधन 15. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 394 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1
विद्यमान नियम

- (क) किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को, निबन्धक के कार्यालय में दाखिल किये गये किसी सार्वजनिक दस्तावेज का, जिसके अन्तर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123, 124, 129 और 131 के अधीन विशेषाधिकृत सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, निरीक्षण के प्रत्येक अवसर पर 50/- रुपये (पचास रुपये) का शुल्क देने पर निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

स्तम्भ 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को, निबन्धक के कार्यालय में दाखिल किये गये किसी सार्वजनिक दस्तावेज का, जिसके अन्तर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123, 124, 129 और 131 के अधीन विशेषाधिकृत सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, निरीक्षण के प्रत्येक अवसर पर 100/- रुपये (सौ रुपये) का शुल्क देने पर निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

नियम 456 का संशोधन 16. मूल नियमावली के विद्यमान नियम 456 में-

- (i) स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 456 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1
विद्यमान नियम

निर्वाचन- अधिकारी, प्रबन्ध समिति के सदस्यों के निर्वाचन का नोटिस और कार्यक्रम के साथ-साथ सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों

स्तम्भ 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

निर्वाचन- अधिकारी, प्रबन्ध समिति के सदस्यों के निर्वाचन का नोटिस और कार्यक्रम के साथ-साथ सभापति या

के निर्वाचन का दिनांक, कार्यक्रम भी सूचित करेगा और वह स्थान भी विनिर्दिष्ट करेगा जहां उनका निर्वाचन होगा।

प्रतिनिधियों के निर्वाचन का दिनांक, कार्यक्रम भी सूचित करेगा और वह स्थान भी विनिर्दिष्ट करेगा जहां उनका निर्वाचन होगा:

परन्तु यह कि जहाँ किसी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की सामान्य निकाय में अन्य दुग्ध उत्पादक समितियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता हो, वहाँ सम्बन्धित समितियों का प्रतिनिधित्व उनके सभापतियों द्वारा ही किया जायेगा।

(ii) उपनियम (3)(ii) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1
विद्यमान नियम

प्रबन्ध समिति के निर्वाचित एवं गैर सरकारी नामित सदस्य अन्य सहकारी समिति के, जिसकी वह समिति सदस्य हो, साधारण निकाय में समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन साधारण निकाय के अर्ह सदस्यों में से करेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति, उपसभापति और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए बुलाई गयी बैठक की गणपूर्ति (कोरम) मताधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक होगी।

स्तम्भ 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

प्रबन्ध समिति के निर्वाचित एवं गैर सरकारी नामित सदस्य अन्य सहकारी समिति के जिसकी वह समिति सदस्य हो, साधारण निकाय में समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन साधारण निकाय के अर्ह सदस्यों में से करेंगे:

परन्तु यह कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थिति में, जिन जिलों में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित नहीं हैं, उन जिलों में गठित अर्ह प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के निर्वाचित सभापतियों द्वारा नियम 552 से 554 में निर्वाचन हेतु विहित व्यवस्था अनुसार अर्ह निर्वाचित सभापतियों में से उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन की साधारण निकाय में प्रतिनिधित्व करने हेतु दो प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सभापति और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए बुलाई गई बैठक की गणपूर्ति (कोरम) मताधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक होगी।

व्यवृति (17) इस नियमावली के नियम 7 के द्वारा मूल नियमावली में किए गये संशोधन इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व नियुक्त न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों पर लागू नहीं होंगे और मूल नियमावली के नियम 273 के उपबन्ध ऐसे अध्यक्ष या सदस्यों के मामले में वैसे ही लागू होंगे मानो यह नियमावली बनाई नहीं गयी है।

आज्ञा से,
आर मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.313/XIV-1/2020-7(1)/2012 dated July 29, 2021 for general information.

NOTIFICATION

July 29, 2021

No.313/XIV-1/2020-7(1)/2012--In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003 (Uttarakhand Act. No 5 of 2003), the Governor is pleased to make the following rules further to amend in the Uttarakhand Co-operative Societies Rules, 2004:-

THE UTTARAKHAND CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement 1- (1) These rules may be called the Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2021.
(2) It shall come into force at once.

Amendment of 2- rule 155 In the Uttarakhand Co-operative Societies Rule, 2004 (hereinafter referred to as principal rules) for existing sub rule (1) of rule 155 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule as hereby Substituted
Every co-operative society shall out of its net profits contribute towards the Co-operative Education Fund within one month of the end of the financial year as follows:-	Every cooperative society shall out of its net profits contribute towards the Cooperative Education Fund within one month of the end of the financial year as follows:-
(a) Primary Cooperative Society Rs. 1,000 per annum.	(a) Primary Cooperative Society: (i) Rs. 5,000 if the net profit during the year under review is Rs 10 lakh or less, (ii) Rs. 10,000 if the net profit during the year is more than Rs 10 lakh and up to Rs 25 lakh. (iii) Rs. 20,000 if the net profit during the year is more than Rs 25 lakh and up to Rs 50 lakh. (iv) Rs. 40,000 if the net profit during the year is more than Rs 50 lakh and up to Rs 1 crore. (a) Rs. 50,000 if the net profit during the year is more than 1 crore.
(b) Districts/Central Cooperative Bank/ urban cooperative banks- Rs. 15,000 per annum.	(b) Districts/Central Cooperative Banks/Urban Cooperative Banks- Rs. 75,000 per annum;
(c) Other central cooperative society Rs. 7,000 per annum.	(c) Other Central Cooperative Societies. Rs. 20,000 per annum

(d) Uttaranchal coop bank-1, 50,000 per annum. (d) Uttarakhand State Cooperative Bank Rs. 2,00,000 per annum

(e) Apex societies other than (d) above Rs. 40,000 per annum. (e) Apex societies other than (d) above Rs. 1, 00,000 per annum.

Provided that registrar may remit fully or partially the contribution from any cooperative society on the ground of its bad financial condition.

Provided that Registrar may remit fully or partially the contribution from any cooperative society on the ground of its bad financial condition.

Amendment of rule 156 3. In the principal rules, for existing sub rule (1) of rule 156 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule as hereby Substituted
(1) The Co-operative Education fund shall be administered by the Uttaranchal Co-operative Marketing Federation in accordance with the regulation referred to in Rule 160 and on the recommendation of a sub-committee constituted as follows:- (i) One representative of each apex level co-operative society nominated by the committee of Management of the society concerned; (ii) One nominee of the Cane Commissioner, Milk Commissioner and Director of Industries; (iii) One nominee nominated by Registrar from amongst the Chairman's of District Co-operative Banks for one year by rotation; (iv) Managing Director of Uttaranchal Co-operative Marketing Federation to act as Member convener. (2) Chairman of Uttaranchal Co-operative Marketing Federation will be ex-officio chairman of	(1) The Co-operative Education fund shall be administered by the Uttarakhand Provincial Co-operative Union Ltd. in accordance with the regulations referred to in rule 160 and on the recommendation of a sub-committee constituted as follows:- (i) One representative of each apex level co-operative society nominated by the committee of Management of the society concerned; (ii) One nominee each of the Cane Commissioner, Director of Industries and Milk Commissioner, Director of Fisheries, Director of Animal Husbandry, Director of Horticulture. (iii) One nominee nominated by Registrar from amongst the Chairman's of District Co-operative Banks for one year by rotation; (iv) Managing Director of Uttarakhand Provincial Co-operative Union Ltd. to act as Member convener. (2) The Uttarakhand Provincial Co-operative Union Ltd. shall be ex-officio chairman of the sub-

the sub-committee.

committee constituted for the management of the Cooperative Education Fund.

- Amendment of 4.** In the principal rules for existing rule 157 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1
Existing rule

The Uttaranchal Co-operative Marketing Federation shall prepare regulations for the administration of the Co-operative Education Fund and matters connected therewith. These regulations shall be subject to the approval of the Registrar.

Column-2
Rule as hereby Substituted

The Uttarakhand Provincial Co-operative Union Ltd. shall prepare regulations for the administration of the Co-operative Education Fund and matters connected therewith. These regulations shall be subject to the approval of the Registrar.

- Amendment of rule 223** 5. In the principal rules for existing rule 223 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1
Existing rule

The annual and other return including the statement of bad and doubtful Assets of a cooperative society along with all the books, relevant accounts, documents, papers, securities, cash and other property shall be made available by the society to the Registrar or any other person conducting audit under section 64 as and when required for checking and verification.

Column-2
Rule as hereby Substituted

The annual and other return including the statement of bad and doubtful debt assets of a cooperative society along with all the books, relevant accounts, documents, papers, securities, cash and other property shall be made available by the society to the Registrar or any other person conducting audit under section 64 as and when required for checking and verification:

Provided that to conduct the audit of General body of Society Concerned, shall appoint a Chartered Accountant from the panel of Chartered Accountant as set out in accordance with the provisions of section 64 of the Act for this purpose.

Determining a fixed limit of the annual statement of the concerned cooperative society the statement is under the said limit it shall be audited by chartered accountant and if the statement is above the said limit, it shall be audited through the "Audit Account" (finance) department,

Amendment of rule 247 6. In the principal rule for existing sub rule (1) of rule 247 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1
Existing rule

- (1) Where the dispute relates to property or money claim the reference shall-

- (a) In case the value of the property of the amount of claim involved does not exceed rupees fifty thousand, be made to the District Assistant Registrar :

Provided that where the dispute is between two or more cooperative societies belonging more than one district in the same division, the reference shall be made to the Deputy Registrar of the division or Deputy Registrar, Headquarters, as the case may be:

Provided further that where the dispute is between two or more cooperative societies belonging to more than one district in the different divisions, the reference shall be made to the Deputy Registrar of the division or Deputy Registrar/ Additional Registrar Headquarters, having jurisdiction over the region:

Provided also that where the dispute is between two or more cooperative societies within the regions under jurisdiction of

Column-2
Rule as hereby Substituted

- (1) Where the dispute relates to property or money claim the reference shall-

- (a) In case the value of the property of the amount of claim involved does not exceed rupees two lakh, be made to the district Assistant Registrar:

Provided that where the dispute is between two or more cooperative societies, belonging to more than one district in the same division, the reference shall be made to the Deputy Registrar of the division or Deputy Registrar, Headquarters, as the case may be:

Provided further that where the dispute is between two or more cooperative societies belonging to more than one district in the different division, the reference shall be made to the Deputy Registrar of the division or Deputy Registrar, Headquarters, as the case may be:

Provided also that where the dispute is between two or more cooperative societies within the regions under jurisdiction of more than one Additional

more than one Additional Registrar the reference shall be made to the Registrar Cooperative Societies appointed under sub-section(1) of section 3.

- (b) In case the value of the property of the amount of claim involved in the dispute exceed rupees fifty thousand but not exceed rupees 2 Lakh be made to the Deputy Registrar of the division or Deputy Registrar, Headquarters as the case may be:

Provided that where the dispute is between two or more cooperative societies belonging to the district in the different division, the reference shall be made to the Deputy Registrar/Additional Registrar, Headquarter, having jurisdiction over the region concerned.

Provided further that where the dispute is between two or more cooperative societies within the region under the jurisdiction of more than one Additional Registrar the reference shall be made to the Registrar Cooperative Societies appointed under sub-section (1) of section 3.

- (c) In case the value of the property of the amount of claim involved in the dispute exceed rupees two lakh but

Registrar the reference shall be made to the Registrar cooperative societies appointed under sub-section (1) of section 3.

- (b) In case the value of the property of the amount of claim involved in the dispute exceeds rupees two lakh but does not exceed rupees five lakh, be made to the Deputy Registrar of the Division or Deputy Registrar, Headquarters as a case may be:

Provided that where the dispute is between two or more cooperative societies belonging to the district in different division, the reference shall be made to the Deputy Registrar/Additional Registrar, Headquarters, having jurisdiction over the region concerned:

Provided further that where the dispute is between two or more cooperative societies within the region under the jurisdiction of more than one Additional Register the reference shall be made to the Registrar cooperative societies appointed under sub-section (1) of section 3.

- (c) In case the value of the property of the amount of claim involved in the dispute exceed rupees five lakh but not exceed rupees

not exceed rupees five lakh, be made to the additional Registrar, headquarter having jurisdiction over the region concern:

Provided that where the dispute is between two or more cooperative societies within the region under jurisdiction of more than one Additional Registrar, reference shall be made to the Registrar, Cooperative Societies appointed under subsection 1 of section 3.

- (d) In case the value of the property or the amount of claim involved in the dispute exceed rupees five lakh, be made to the Registrar, Cooperative Societies appointed under subsection 1 of section 3.

ten lakh, be made to the additional Registrar, headquarters having jurisdiction over the region concern:

Provided that where the dispute is between two or more cooperative societies within the region under jurisdiction of more than one Joint Registrar, reference shall be made to the Additional Registrar, Headquarter.

Provided further that where the dispute is between two or more cooperative societies within the region under the jurisdiction of more than one Additional Registrar, the reference shall be made to the Registrar, Cooperative Societies appointed under sub-section (1) of section 3.

- (d) In case the value of the property or the amount of claim involved in the dispute exceed rupees ten lakh but does not exceed rupees fifteen lakh, be made to the Additional Registrar, Headquarters having jurisdiction over the region concerned:

Provided that where the dispute is between two or more cooperative societies within the region under the jurisdiction of more than one Additional Registrar, reference shall be made to the Registrar, Cooperative Societies appointed under sub-section (1) of section 3.

- (e) In case the value of the property or the amount of claim involved in the dispute exceeds rupees fifteen lakh, be made to the Registrar, Cooperative Societies appointed under sub-section (1) of section 3.

Amendment of 7. In the principal rules for existing clause (a) of rule 273 as set out in rule 273 column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted and clause (b) shall be omitted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule as hereby Substituted
(a) The chairman or a member of the Tribunal shall hold office for a term seven years from the date on which he enters upon his office: Provided that no chairman or member shall hold office as such after he attained: (i) In the case of chairman, the age of sixty seven years; and. (ii) In the case of member, the age of sixty six years. (b) If any person is working as chairman or Member in the Tribunal before he/she has reached the age of superannuation in his/her substantial service, he/she shall continue to work as chairman or Member of the Tribunal till the age of 66 and 67, as the case may be. No fresh notification shall be required to be issued for this purpose.	(a) The chairman or a member of the Tribunal shall hold office for a term of three years from the date of joining or till the age of 65 years whichever is earlier. (b) Omitted.

Amendment of 8. In the principal rules for existing rule 376 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule as hereby Substituted
An application for enquiry in cooperative society under sub-section(2) of section 65 shall be accompanied by fees at the rate specified below:-	An application for inquiry in cooperative society under sub section (2) of section 65 the complainant shall be apply with Rs. 100 affidavit accompanied by fees at the rate specified below:-
(i) in case of an Agriculture primary credit cooperative societies- Rs 25	(i) in case of an Agriculture primary credit cooperative societies- Rs 50
(ii) in case of District Level Central cooperative society -Rs 100	(ii) in case of district level central cooperative societies-Rs 500
(iii) in case of an Apex level cooperative society-Rs 500	(iii) in case of an Apex level cooperative societies- Rs 1000
(iv) in case of any other cooperative societies- Rs 100	(iv) in case of any other cooperative societies- Rs 200

Amendment of 9. In the principal rules for existing rule 377 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule as hereby Substituted
An application by creditor of a cooperative society for inspection under section 66 shall be accompanied by fees at the rate specified below:	An application by creditor of a cooperative society for inspection under section 66 shall be accompanied by fees at the rate specified below:
(i) in case of an Agriculture primary cooperative societies-Rs 25	(i) in case of an Agriculture primary cooperative societies-Rs 50
(ii) in case of District level Central cooperative societies- Rs 100	(ii) in case of district Level Central cooperative societies- Rs 500
(iii) in case of an Apex level cooperative societies- Rs 500	(iii) in case of an Apex level cooperative societies- Rs 1000
(iv) in case of any other cooperative societies- Rs 100	(iv) in case of any other cooperative societies- Rs 200

**Amendment of 10.
rule 378**

In the principal rules for existing rule 378 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

**Column-1
Existing rule**

No action shall be taken on any application for inspection of a cooperative society or inquiry into the affairs or matters relating to the affairs of a cooperative society, moved by a person who is neither a member of the cooperative society nor a creditor thereof unless such application is accompanied by a fee of rupees five hundred...

Explanation- the terms "member" for the purpose of this rule shall include a member of the General Body and also a member of the committee of management of the society.

Column-2

Rule as hereby Substituted

No action shall be taken on any application for inspection of a cooperative society or inquiry into the affairs or matters relating to the affairs of a cooperative society moved by a person who is neither a member of the cooperative society nor a creditor thereof unless such application is accompanied by a fee of rupees one thousand.

Explanation- The terms "member" for the purpose of this rule shall include a member of the General Body and also a member of the committee of management of the Society.

**Amendment of 11.
rule 379**

In the principal rule for existing rule 379 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

**Column-1
Existing rule**

A Reference under sub-section (1) of section 70 for settlement of a dispute shall-

(a) Where the reference is covered under clause (a) of sub-Rule (1) of rule 247 and the value of the property or amount of claim involved in the reference does not exceed rupees 5,000, require a fee of Rs.50;

(b) Where the reference is covered under clause (a) (b) (c) or (d) of sub-Rule (1) of rule 247 and the value of the property or amount of claim involved in the reference does not

Column-2

Rule as hereby Substituted

A Reference under sub-section 1 of section 70 settlement of dispute shall-

(a) Where the reference is covered under clause (a) of sub-rule (1) of rule 247 and the value of the property or amount of claim involved in the reference does not exceed rupees 5,000 (Rs. Five thousand only) require a fee of Rs.100;

(b) Where the reference is covered under clause (a) (b) (c) or (d) of sub-Rule (1) of rule 247 and the value of the property or amount of claim involved in the reference does not exceed Rs.5,000

exceed Rs.5,000, be accompanied by a fee at the rate of one percent of the value of the property or the amount of claim involved in the reference but not exceed Rs. 25000;

- (c) Where the reference is covered under sub rule(2) or sub rule (3) of rule 247 be accompanied by a fee of Rs. 500

(Rs. Five thousand only) be accompanied by a fee at the rate of one percent of the value of the property or the amount of claim involved in the reference but not exceed Rs. 50,000 (Rs. Fifty thousand only);

- (c) Where the reference is covered under sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 247 be accompanied by a fee of Rs. 1000, but where a board of arbitrators is constituted under sub-section (1) of section 71 on the request of the plaintiff, the amount of fee shall be payable under the foregoing relevant clause with an addition either of 10 percent thereof or Rs.100 whichever is higher.

Provided that where a board of arbitrators is constituted under sub-section (1) of section 71 on the request of the plaintiff, the amount of fee shall be payable under the foregoing relevant clause with an addition either of 10 percent thereof or Rs.50 whichever is higher.

Amendment of 12. rule 380 In the principal rules for existing rule 380 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule as hereby Substituted
A memorandum of appeal shall-	A memorandum of appeal shall-
(a) Where the appeal against decision referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 98, required fees of Rs. 50;	(a) Where the appeal against decision referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 98, required fees of Rs. 100.
(b) Where the appeal is against award referred to in sub-section (1) of	(b) Where the appeal is against award referred to in sub-section (1) of section 97 and clause (h)

section 97 or clause(h) of sub-section (1) of section 98 of the Act be accompanied by a fee two times the rate specified in rule 379;

of sub-section (1) of section 98 of the Act be accompanied by a fee two times the rate specified in rule 379;

(c) In all other cases-

(1) Where the registrar cooperative societies, appointed under sub-section (1) of section 3 or Additional Registrar or Deputy Registrar appointed under sub-section (2) of section 3 of the Act is the appellate authority, be accompanied by a fee at the following rate:-

- (a) Two percent of the amount of claim, if it is money or property claim;
- (b) A fee of rupees 200 if it is not a money or property claim;

(1) Where the state government is the appellate authority, a fee of Rs. 500;

(2) Where the Co-operative Tribunal is appellate authority, fee of Rs 500;

(3) Where any authority other than the mentioned in clause (a) or clause (b) or clause (c) is the appellate authority, a fee of Rs. 200

(c) In all other cases-

(1) Where the registrar cooperative societies, appointed under sub-section (1) of section 3 or Additional Registrar or Deputy Registrar appointed under sub-section (2) of section 3 of the Act is the appellate authority, be accompanied by a fee at the following rate:-

(a) Two percent of the amount of claim, if it is money or property claim;

(b) A fee of rupees 250 (Rs. Two hundred fifty only) if it is not a money or property claim;

(1) Where the state government is the appellate authority, fee of Rs. 1000 (Rs. One thousand);

(2) Where the Co-operative Tribunal is the appellate authority, a fee of Rs 1000 (Rs. One thousand only);

(3) Where any authority other than the mentioned in clause (a) or clause (b) or clause (c) is the appellate authority, a fee of Rs. 250 (Rs. Two hundred fifty only).

Amendment of 13. rule 382

In the principal rules for existing rule 382 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

**Column-1
Existing rule**

An application for transfer of an appeal under section 101 shall be accompanied by fee at the following rates-

**Column-2
Rule as hereby Substituted**

An application for transfer of an appeal under section 101 shall be accompanied by fee at the following rates:-

(a) Where the application for transfer is covered under sub-section (1) of section 101, the fee shall be Rs 400

(b) Where the application for transfer is covered under subsection (2) of section 101, the fee shall be Rs 400;

(c) Where the application for transfer is covered under sub-section (3) of section 101, the fee shall be Rs 200.

(a) Where the application for transfer is covered under sub-section (1) of section 101, the fee shall be Rs 500 (Five hundred only);

(b) Where the application for transfer is covered under subsection (2) of section 101, the fee shall be Rs 500 (Rs. Five hundred only);

(c) Where the application for transfer is covered under subsection (3) of section 101, the fee shall be Rs 250 (Rs. Two hundred fifty only).

Amendment of 14. rule 383

In the principal rules for existing rule 383 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule as hereby Substituted
In connection with the execution proceedings, the following fee shall be charged:-	In connection with the execution proceedings, the following fee shall be charged:-
(a) For an application for execution of an award order-	(a) For an application for execution of an award or order-
(1) Where the amounts sought to be recovered is rupees one thousand or less Rs10.00	(1) Where the amounts sought to be recovered is rupees one thousand or less Rs100.00
(2) Where the amount sought to be recovered is more than rupees one thousand an additional fee at the rate of 10 paisa per hundred rupees or part thereof subject to maximum of Rs 500 (five hundred).	(2) Where the amount sought to be recovered is more than rupees one thousand and additional fee at the rate 10 paisa per hundred rupees or part thereof subject to maximum of rupees 1000 (One thousand rupees).
(b) for each notice under execution proceedings Rs10.00	(b) for each notice under execution proceedings Rs 50.00
(c) for the attachment of movable property of each judgment debtor-Rs.25.00	(c) for the attachment of immovable property of each judgment debtor-Rs.100.00

- | | |
|--|--|
| (d) for beat of drum for publicity prior to sale per day for each sale-Rs 20.00 | (d) for beat of drum for publicity prior to sale per day for each sale-Rs.150.00 |
| (e) Sale fee for each sale-Rs. 25.00 | (e) Sale fee for each sale- Rs. 100.00 |
| (f) fee for every objection petition sale- Rs25.00 | (f) fee for every objection petition sale-Rs 50.00 |
| (g) fee for the attachment of immovable property of a judgment debtor- Rs. 50.00 | (g) fee for the attachment of immovable property of each judgment debtor- Rs. 100.00 |
| (h) fee for sale of immovable properties Rs.50.00 | (h) fee for sale of immovable properties Rs.100.00 |

Amendment of rule 394

15. In the principal rules for existing clause (a) of rule 394 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

**Column-1
Existing rule**

Any member of the public may be permitted, on payment of a fee of rupees fifty, on each occasion of inspecting, to inspect for any lawful purpose, any public document exclusive of public documents privileged under section 123, 124, 129 and 131 of the Indian Evidence Act 1872, filed in the office of the Registrar.

**Column-2
Rule as hereby Substituted**

Any member of the public may be permitted, on payment of a fee of rupees one hundred, on each occasion of inspecting, to inspect for any lawful purpose, any public document exclusive of public documents released under section 123, 124, 129 and 131 of the Indian Evidence Act, 1872, filled in the office of the Registrar.

Amendment of rule 456

16. In existing rule 456 of the principal rules-

- (i) for existing sub rule (2) as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

**Column-1
Existing rule**

Election: The Election Officer shall along with the notice and program me of election member of the committee of Management also intimate that date, program me of election of chairman, vice chairman or delegates and also specify the place where such election shall be held.

**Column-2
Rule as hereby Substituted**

Election: The Election Officer shall along with the notice and program of election of members of the committee of Management also intimate that date program of election of Chairman or representative and also specify the place where such election shall be held:

Provided that where any General Body of Milk Producer's

Co-operative society is represented by the other Milk Producer Co-operative Society, concerned society shall be represented only through its Chairman.

- (ii) for sub rule (3) (ii) as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1
Existing rule

The elected members and nominated non official members of the committee of Management select delegate to represent the society in the General Body of another Cooperative Society of which the society is the member, from among the qualified members, among the qualified members of the General Body.

Provided that the quorum for the election of the chairman, Vice Chairman and delegate shall be more than half the number of members having voting right.

Column-2
Rules as hereby Substituted

The elected members and nominated non official members of the committee of Management shall select representative to represent the society in the General Body of another Cooperative Society of which the society is the member, from among the qualified members of the General Body:

Provided that in case of milk cooperative societies, in the districts, where district level milk produce co-operative unions are not established, elected Chairman of eligible Primary Milk Cooperative Society shall be elected from the eligible elected Chairman of Primary Milk Societies, according to the provisions prescribed for election in rule 552 to 554 for representation in the General Body of Uttarakhand Cooperative Dairy Federation:

Provided that the quorum for the election of the Chairman and the representative shall be more than half the number of members having voting right.

Saving

17. The amendment made in the principal rules by rule 7 of these rules shall not apply to chairman or members of the tribunal appointed before commencement of these rules and provision of rule 273 of principal rules in matter of such Chairman and member shall apply as if these rules had not been made.

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDRAM,

Secretary.

